# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | गीता देवी बनाम बनारसी देवी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1278/2024 | |
| 08/08/25 | पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि रेस्पो. जानबूझकर उपस्थित नही आ रहे है एवं उन्हें पूर्व में भी उपस्थित होकर पैरवी हेतु कई अवसर दिये जाने के पश्चात भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आ रहे है | ऐसे में अपीलार्थी को पत्रावली पर सुना जाकर युक्तियुक्त आदेश पारित किया जावे | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/09/2025 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |
| 04/09/25 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीयां की माता ने अपने चाचा के विरुद्ध विभाजन का दावा इस आशय का पेश किया कि मेरे एवं मेरी बेटीयो के पक्ष में अपीलार्थीयां के पति की भूमि में से घोषणा की जाये | अपीलार्थीयां की माता नाते चली गयी थी | मृत्तक भागीरथ की मृत्यु के पश्चात विवादग्रस्त भूमि के तीन हिस्सेदार बताये गये, माता, अन्य स्टेफ सिस्टर एवं अपीलार्थीयां को पक्षकार बनाया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मात्र माता के नाम ही घोषणा की गयी | विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थीयां गीता देवी के पिता की भूमि है, जो कुल 30 बीघा भूमि है | अपीलार्थीयां के पिता सरकारी कर्मचारी थे एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन 1971 में दावा पेश किया गया था, जिसमे अपीलार्थीयां की गार्जनशीप अपीलार्थीयां की दादी को दी गयी थी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17/12/1989 को चस्पान्दगी से नोटिस तामील होना अंकित करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी परन्तु चस्पान्दगी के नोटिस पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नही है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/01/1991 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22/04/1991 पारित करते हुये सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थीयां की माता के नाम कर दिये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीयां के पिता की सम्पूर्ण भूमि अपीलार्थीयां की माता के नाम कर दी गयी | सन 1991 में भी विवादगस्त भूमि पर अपीलार्थीयां का कब्जा रहा है | माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीयां को भागीरथ की बेटी माना है | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | गीता देवी बनाम बनारसी देवी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख ... जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

सीपीसी को मियाद बाहर धारित कर ख़ारिज करने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीयां द्वारा अपना प्रकरण बखूबी साबित किया गया था | विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थीया के पिता की भूमि है | अपीलार्थीयां के पिता एवं चाचा के कुल 30 बीघा भूमि में से 15-15 बीघा भूमि होनी चाहिये | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिए बगैर एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटी कारित की है | अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीयां के प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी को मियाद बाहर धारित कर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से सरसरी तौर पर ख़ारिज कर दिया गया है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकरण का गुणावगुण पर परिक्षण करते हुये युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है | विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रकरण के गुणावगुण पर बल जाहिर हो तो मियाद का लाभ प्रदान किया जाना चाहिये | चूँकि मूल वाद में तामील का बिन्दु विधमान है, जिसे विस्तृत रूप से एक्जामिन किया जाना आवश्यक समझा जाता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28/11/2024 न्यायोचित्त प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पर दोनों पक्षों की सुनवाई कर उसका गुणावगुण पर परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

5/9/25
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर